प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला बीकानेर – **थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो जयपुर**............वर्ष ...2022
2. प्र.इ.रि.सं....463/2022.............. दिनांक ....01/12/2022..........................
   (I) * अधिनियम – ...**भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018**..... धारा ...7
   (II) * अधिनियम भा.द.सं. धारा – ....
   (III) * अधिनियम...............................–.............................. धाराएं.....................–.....................
   (IV) * अन्य अधिनियम एवं धाराएं ....–..
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ....16.....समय........6:00 P.M........
   (ब) अपराध घटने का दिन व समय– .... **दिनांक 30.11.2022 वक्त 03.34 पी.एम**......
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक – ....27.11.2022...
4. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक -- **लिखित**
5. घटनास्थल :–
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी –**बजानिब उत्तर पूर्व करीब 220 किलोमीटर**
   (ब) पता – हनुमानगढ

   बीटसंख्या.......–.............जुरायमदेही सं.........................

   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना ......–.......... ....
6. परिवादी /सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम – श्री सोमराज,
   (ब) पिता/पति का नाम – श्री हेमराज बंसल
   (स) जन्म तिथि/आयु – 55 वर्ष
   (द) राष्ट्रीयता – भारतीय
   (य) पासपोर्ट संख्या.................. जारी होने की तिथि...... जारी होने की जगह ....
   (र) पेशा –
   (ल) पता – वार्ड नम्बर 3 संगरिया जिला हनुमानगढ
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–

   श्री बलवानसिंह पुत्र श्री हरदेवाराम सहारण जाति जाट उम्र 35 साल निवासी गांव अरजणी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ हाल परिवहन उप निरीक्षक उडनदस्ता डीएफएस नम्बर 132 नोहर जिला हनुमानगढ

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :– **कोई विलम्ब नहीं।**
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये).....
10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य ...90000/– रूपये भारतीय मुद्रा..के नम्बरी नोट
11. पंचनामा यू॰ डी॰ केस संख्या (अगर हो तो) ....–...
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये) :

सेवा में,

श्रीमान अतरिक्त पुलीस अधीक्षक
ACB सपेशल युनीट बिकानेर।

विषय :– जायज काम के लिऐ परेशान करने वालो के खिलाफ कानुनी कार्यवाही करने बाबत

श्रीमान जी उपरोक्त विषय में निवेदन है की में प्रार्थी सोमराज श्री हेमराज वार्ड न. 3 सगंरिया जिला हनुमानगढ(राज) का रहने वाला हु व ट्रासपोर्ट का व्यवसाय करता हूं मेरी कुछ गाडिया राजस्थान संगरिया से किशनगढ चलती है (RJ31GB-2781-3381-3681-3981- 4081 5081 इत्यादी)बलवान जी सहारण जो की नोहर में DTO ओफीस मे इसपेक्टर के पद पर कार्यरत है। पिछले कुछ दिनों से जानबुझ कर मेरी गाडियों के चालान काट रहे है। चालान नही काटने की ऐवज में 120000(एक लाख बीस हजार) रूपये की मासीक बन्दी मांग रहे है। बलवान जी सहारण से हमारा काई लेन देन उधारी नहीं है। मै आपकी चौकी से काफी दूर हू तो एप्लीकेशन वटअप से भेज रहा हू बाद में हाड कापी पेश कर दुंगा

प्राथी
एसडी
सोमराज
9214380741

कार्यवाही पुलिस

दिनांक 27.11.2022 वक्त 02:15 पी.एम पर श्री महावीर प्रसाद शर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो(एसयू), बीकानेर ने मन् पुलिस निरीक्षक गुरमेलसिंह को अपने कक्ष में बुलाकर बताया कि श्री सोमराज पुत्र श्री हेमराज निवासी वार्ड नम्बर 3 संगरिया जिला हनुमानगढ ने अपने मोबाईल नम्बर 92143–80741 से कॉल कर बताया कि मेरे पास काफी गाडिया है जो संगरिया से किशनगढ चलती है। बलवान सहारण परिवहन विभाग नोहर में इंसपेक्टर के पद पर पदस्थापित है। जिसने पिछले कई दिनों में मेरी गाडियों के चालान काटे है और वह चालान नहीं बनाने के बदले 120000 रूपये मंथली मांग रहा है। मैं मेरे जायज काम के बदले उसे रिश्वत नहीं देना चाहता और रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। मेरा उससे कोई उधारी का लेन देन नही है, ना ही कोई रंजिश है। मैं कार्यवाही करवाने हेतु लिखित प्रार्थना पत्र आपको वाट्सएप कर रहा हूं। मूल प्रार्थना पत्र मैं आपको बाद में पेश कर दूंगा। जिस पर मन अति. पुलिस अधीक्षक ने उसको बताया कि रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाना आवश्यक है। परिवादी श्री सोमराज ने कहा की मैं बलवान सहारण इंस्पेक्टर से बात कर रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवा दूंगा। आप अपने कर्मचारी को आपके विभाग का टेप रिकार्डर देकर मेरे पास संगरिया जिला हनुमानगढ भेज देवे। जिस पर मैने सोमराज को कहा की मेरे ऑफिस का कर्मचारी टेप रिकार्डर आपके पास आ जायेगा। श्री सोमराज ने मेरे वाट्सएप नम्बर पर प्रार्थना पत्र भी प्रेषित किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी सोमराज द्वारा जरिये वाट्सएप भेजे गये प्रार्थना पत्र का प्रिन्ट आउट निकलवाकर मुझे सुपुर्द कर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिये। परिवादी श्री सोमराज का प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तो उसने अपने प्रार्थना में अंकित किया कि मैं ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय करता हूं। मेरी गाडीया संगरिया से किशनगढ चलती है। गाडी नम्बर आरजे 31 जीबी 2781, 3281, 3681, 2981, 4081, 5081 इत्यादी है। बलवान सहारण डीटीओ नोहर में इन्सपेक्टर के पद पर कार्यरत है, पिछले कुछ दिनों से जान बुझकर मेरी गाडियों के चालान काट रहे है चालान नहीं काटने के लिए 120000 रूपये मासिक बंदी मांग रहा है। बलवान सहारण से हमारा कोई उधारी का लेन देन नहीं है। मन पुलिस निरीक्षक ने भी परिवादी से जरिये दूरभाष सम्पर्क किया तो परिवादी द्वारा उपरोक्त तथ्यों की ताईद की। परिवादी के प्रार्थना पत्र व

परिवादी द्वारा जरिये दूरभाष बताये गये तथ्यों से मामला पीसी एक्ट की परिधि में आता है। अत रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाकर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

वक्त 04.15 पीएम पर श्री योगेन्द्र सिंह कानि को परिवादी श्री सोमराज अग्रवाल द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र के तथ्य बताये तथा सोमराज के मोबाईल नम्बर भी दिये गये। श्री योगेन्द्र सिंह को कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय नया मैमोरी कार्ड सुपुर्द कर हिदायत की गई की संगरिया जिला हनुमानगढ पहुच परिवादी सोमराज अग्रवाल से सम्पर्क कर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवावे।

दिनांक :–28.11.2022 वक्त 05.50 पीएम पर श्री योगेन्द्र सिंह कानि व एक व्यक्ति कार्यालय में उपस्थित आये। श्री योगेन्द्र सिंह कानि ने डिजिटल वाईस रिकार्डर पेश कर अपने साथ आये व्यक्ति यह परिवादी सोमराज है। मैं कल दिनांक 27.11.2022 को ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर संगरिया जिला हनुमानगढ पहुंच परिवादी से सम्पर्क कर मुकीम हुआ। दिनांक 28.11.2022 को परिवादी सोमराज मेरे से मिला। मै व सोमराज संगरिया से रवाना होकर हनुमानगढ पहुचे। मैने डिजिटल वाईस रिकार्डर चालु, बंद व वार्ता रिकार्ड करने की विधि परिवादी को समझाई। डिजिटल वाईस रिकार्डर चालु कर परिवादी को सुपुर्द कर श्री बलवान सहारण इंस्पेक्टर परिवहन विभाग से सम्पर्क करने उनके मकान पर रवाना किया गया। परिवादी कुछ समय बाद मेरे पास वापिस आया। मैने डिजिटल वाईस रिकार्डर बंद कर अपने पास रख दिया। परिवादी ने मुझे बताया कि श्री बलवान इंस्पेक्टर घर पर नहीं मिले, ऑफिस गये हुए है। जिस पर हम दोनो वहां से रवाना होकर नोहर परिवहन कार्यालय के पास पहुंचे। मैने डिजिटल वाईस रिकार्डर चालु कर परिवादी को देकर बलवान सहारण परिवहन निरीक्षक से सम्पर्क करने हेतु परिवहन कार्यालय नोहर के लिए रवाना किया। कुछ समय बाद परिवादी मेरे पास आया। मैने परिवादी से डिजिटल वाईस रिकार्डर लेकर बंद कर अपने पास रख लिया तथा परिवादी ने मुझे बताया मेरी बलवान सहारण इंस्पेक्टर से मेरे कार्य के बारे में बात हुई है। जिन्होने मेरी ट्रांसपोर्ट की गाडियों के चालान नहीं बनाने के बदले 90000 रूपये मंथली की मांग की है। उसके बाद हम दोनों वहां से रवाना होकर कार्यालय में आये। परिवादी श्री सोमराज ने मूल प्रार्थना पत्र पेश कर बताया कि यह प्रार्थना पत्र मेरे स्वय द्वारा लिखा गया है तथा इस पर मेरे स्वयं के हस्ताक्षर हैं तथा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद की। परिवादी ने श्री योगेन्द्र सिह कानि के कथनों की ताईद करते हुए बताया कि मेरे मेरे कार्य के संबंध में श्री बलवान सहारण परिवहन निरीक्षक से परिवहन कार्यालय नोहर में बात हुई। श्री बलवान सहारण द्वारा मेरी ट्रासंपोर्ट की गाडियों के चालान नहीं बनाने के बदले 90000 रू मासिक बंधी के रूप में रिश्वत की मांग की। वार्ता को मैने ब्यूरो के डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड की थी। जिस पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी व श्री योगेन्द्र सिंह कानि के समक्ष डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालु कर सुना गया तो उसमें श्री बलवान सहारण परिवहन निरीक्षक द्वारा 90000 रू मासिक बंधी की मांग करने के तथ्य पाये गये।

वक्त 06.00 पीएम पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के डिजिटल वाईस रिकार्डर को कार्यालय लैपटॉप से परिवादी व श्री योगेन्द्र सिंह कानि के समक्ष कनेक्ट कर वार्ता को सुन–सुन कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। वार्ता की फर्द ट्रासंक्रिप्ट श्री योगेन्द्र सिंह कानि से टाईप करवाई गई। डिजिटल वाईस रिकार्डर में जो ऑडियों फाईल है जिसे ब्यूरो कार्यालय के लैपटॉप की सहायता से दो पेन ड्राईव तैयार किये गये। एक पेन ड्राईव को उसके कवर में डालकर उक्त पेन ड्राईव को एक कपडे की थैली में डालकर उक्त थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर सिल्ड चिट किया गया तथा दूसरे पेन ड्राईव को एक खुला रखा गया। मैमोरी कार्ड को डिजिटल वाईस रिकार्डर में ही रखा जाकर अग्रिम कार्यवाही डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड व सिल्ड शुदा पेन ड्राईव व खुला पेन ड्राईव को मन निरीक्षक पुलिस ने कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखे। परिवादी ने बताया कि मै रिश्वत राशि की व्यवस्था करनी है। श्री बलवान परिवहन निरीक्षक कल शाम को अपने घर पर रिश्वती राशि लेगा, मेरे को रिश्वती राशि की व्यवस्था कर मैं आपके कार्यालय में वापिस नहीं आ सकता इसलिए आप कल दिनांक 29.11.2022 को दोपहर बाद हनुमानगढ आ जाना। जिस पर परिवादी को हिदायत मुनासिब कर रवाना किया। पाबंद शुदा गवाह श्री निर्मल स्वामी कनिष्ठ सहायक व श्री रामकुमार व्य सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय जिला परिषद बीकानेर कार्यालय में उपस्थित आये। उक्त दोनो को गोपनीय कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह के रूप में शामिल रखा।

बाबत पूछा तो दोनो ने सहमति जाहिर की। तलब शुदा दो प्राइवेट वाहन मय चालक के उपस्थित आये।

दिनांक :—29.11.2022 वक्त 12.15 पीएम पर मालखाना से फिनोफथलीन पाउडर की शीशी श्री यजवेन्द्र सिंह कनिष्ठ सहायक से मंगवाकर प्राईवेट वाहन स्वीफ्ट डिजायर की डेस्क बोर्ड में रखवाई गई। मन् निरीक्षक पुलिस मय ब्यूरो स्टाफ श्री मंगतूराम हैड कानि. 71, श्री राजेश कुमार मुख्य आरक्षक नम्बर 76, श्री जमील अहमद कानि0 नंबर 147, श्रीमती हजारा पठान म.का. 113, श्री यजवेन्द्र सिंह कनिष्ठ सहायक, दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री निर्मल स्वामी व श्री रामकुमार व्यास के विभागीय लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स, डिजिटल वाईस रिकॉर्डर इत्यादि आवश्यक सामग्री सहित जरिये प्राईवेट वाहन स्वीफ्ट डिजायर व महिन्द्रा गिराजो मय चालक के हनुमानगढ के लिए रवाना होकर वक्त 4.25 पीएम पर हनुमानगढ–सूरतगढ हाईवे पर टोल के पास होटल सांझा चुल्हा पर पहुचा। जहा पर परिवादी श्री सोमराज उपस्थित मिला। श्री सोमराज ने बताया कि रिश्वत में दी जाने वाली राशि 90000 रूपये की व्यवस्था कर साथ लाया हूं। परिवादी श्री सोमराज व स्वतंत्र गवाहान श्री निर्मल स्वामी व रामकुमार व्यास का आपसी परिचय करवाया गया। दोनो गवाहान को परिवादी के प्रार्थना पत्र के तथ्यों व अब तक हुई कार्यवाही से अवगत करवाया गया।

वक्त 05:25 पी.एम.पर श्री यजवेन्द्र सिंह कनिष्ठ सहायक से प्राईवेट वाहन स्वीफ्ट डिजायर नम्बर आर जे 07 टीए 4726 के डेस्क बोर्ड से फिनोफ्थलीन पाउडर की शिशि मंगवाई गई। परिवादी श्री सोमराज पुत्र श्री हेमराज बंसल जाति अग्रवाल निवासी वार्ड नम्बर 3 संगरिया जिला हनुमानगढ ने मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देश पर रिश्वत में दिये जाने वाले दो–दो हजार रूपये के 45 नोट भारतीय मुद्रा के कुल 90000 रूपये पेश किये जिनका विवरण निम्न प्रकार है:—

1	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बर	4KH 089549
2	———— " ————	1KT 875279
3	———— " ————	3AG 994003
4	———— " ————	5EQ 278805
5	———— " ————	8DQ 176376
6	———— " ————	1EW 024965
7	———— " ————	1CN 708266
8	———— " ————	0ES 291237
9	———— " ————	4GF 897139
10	———— " ————	0FV 416938
11	———— " ————	1GW 064646
12	———— " ————	8DE 060649
13	———— " ————	6BP 595526
14	———— " ————	9AW 064321
15	———— " ————	0HA 143873
16	———— " ————	2MS 472732
17	———— " ————	1ES 950361
18	———— " ————	5KF 794298
19	———— " ————	8EK 627848
20	———— " ————	6HV 564854
21	———— " ————	7DD 715457
22	———— " ————	7BF 029143
23	———— " ————	5EA 766033

24	———— " ————	5AA 799078
25	———— " ————	2CU 212799
26	———— " ————	3DN 762320
27	———— " ————	6BG 468723
28	———— " ————	4DM 245734
29	———— " ————	1CS 168545
30	———— " ————	1KK 985339
31	———— " ————	5CH 914527
32	———— " ————	3MC 036945
33	———— " ————	8HF 870374
34	———— " ————	3FB 886571
35	———— " ————	6DD 577379
36	———— " ————	0DM 314220
37	———— " ————	8BB 680826
38	———— " ————	9FT 247687
39	———— " ————	0BB 140602
40	———— " ————	3AE 219431
41	———— " ————	5GE 865724
42	———— " ————	6EC 055170
43	———— " ————	6BC 637700
44	———— " ————	8DF 223612
45	———— " ————	2KE 311983

उपरोक्त सभी नोटो को एक सफेद कागज पर रखवाकर श्री यजवेन्द्र सिंह कनिष्ठ सहायक से फिनोल्फथलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री सोमराज की जामा तलाशी गवाह श्री निर्मल स्वामी से लिवायी गई तो उनके पास कोई आपतिजनक सामान नहीं पाया गया। उपरोक्त पाउडर युक्त राशि को परिवादी सोमराज की पहनी हुई जिन्स पेन्ट के पीछे की दाहिनी जेब में श्री यजवेन्द्र सिंह कनिष्ठ सहायक से रखवाई गई। परिवादी श्री सोमराज को हिदायत की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वत की मांग करने पर उक्त पाउडर युक्त नोट उसे देवे। रिश्वत राशि देने के बाद आरोपी से हाथ नहीं मिलायें। रिश्वत की राशि लेकर आरोपी कहां रखता है उसका ध्यान रखे व अपने कार्य के सम्बधं में वार्ता करें। रिश्वत राशि लेन देन के पश्चात अपने मोबाईल नम्बर 9214380741/9414380741 से मन पुलिस निरीक्षक के मोबाईल 941450059 पर मिस कॉल या कॉल कर ईशारा करें। दोनो गवाहान को निर्देश दिये कि यथा सम्भव परिवादी के आस--पास रहकर रिश्वत के लेन--देन व इस बीच होने वाली वार्ता को कमशः देखने व सुनने का प्रयास करे। तत्पश्चात पानी की बोतल से कांच के एक साफ गिलास में पानी भरवाया जाकर सोडीयम कार्बोनेट पाऊडर डालकर घोल बनाया गया तो पानी रंगहीन रहा। इस रंगहीन घोल में श्री यजवेन्द्र सिंह के हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी व गवाहान को फिनोल्फथलीन व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की रासायनिक प्रतिक्रिया का दृष्टांत देकर गवाहान समझाया गया। गिलास के मिश्रण को फिंकवाया गया व सफेद कागज जिस पर रखकर नोटों पर फिनोल्फथलीन पाऊडर लगाया है, को जलाकर नष्ट किया गया। गिलास तथा श्री यजवेन्द्र सिंह के हाथ साबुन पानी से धुलवाये गये। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों/गवाहों के हाथ साबुन पानी से धुलवाये जाकर हिदायत मुनासिब की गई। परिवादी श्री सोमराज को रिश्वत लेनदेन के समय होने वाली वार्ता को रिकार्ड करने के लिए कार्यवाही में पूर्व से प्रमुख कार्यालय का वॉईस रिकार्डर सूपुर्द किया गया। रिश्वत स्वीकृति के ईशारे के लिए परिवादी

को उसका मोबाईल सूपुर्द किया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द मुर्तिब की गई। श्री राजेन्द्र सिंह को फिनोल्फथलीन पाउडर की शीशी सहित बीकानेर के लिए रवाना होने की हिदायत दी गई।

वक्त 06.25 पीएम पर परिवादी श्री सोमराज व श्री योगेन्द्र सिंह कानि को परिवादी की निजी कार से, मन् पुलिस निरीक्षक, दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री निर्मल स्वामी, श्री रामकुमार व्यास, श्री मंगतुराम हैड कानि, श्री राजेश कुमार हैड कानि, श्री जमील अहमद कानि, श्रीमती हजारा पठान म.का. मय ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप, प्रिन्टर आदि के जरिये प्राईवेट वाहनो से आरोपी बलवान परिवहन निरीक्षक के मकान सिविल लाईन हनुमानगढ की तरफ रवाना होकर सिविल लाईन कॉलोनी, रेलवे फाटक के पास पहुचे। परिवादी ने अपने विश्वस्त व्यक्ति से श्री बलवान परिवहन निरीक्षक का पता किया तो मकान पर नही होने की जानकारी मिली। मन पुलिस निरीक्षक मय स्टाफ के इंतजार में मुकीम हुए। वक्त 07.30 पीएम पर परिवादी अपने विश्वस्त व्यक्ति से पता कर बताया कि आरोपी श्री बलवान अभी तक अपने मकान पर नहीं आये है, हो सकता है वह कही शादी पार्टी में चले गये होगे, कल सुबह जरूर वह मेरे से रिश्वत राशि लेने हेतु कॉल करेगा। रात्रि का समय हो जाने तथा आरोपी के आने का कोई निश्चित समय नहीं होने के कारण सम्पूर्ण ट्रेप पार्टी सहित रात्री मुकीम हेतु होटल सांझा चुल्हा के लिए रवाना होकर होटल सांझा चुल्हा पर पहुचे। गवाह श्री निर्मल स्वामी से परिवादी के पहनी हुई जिंस पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब में रखी रिश्वती राशि को निकलवाकर एक सफेद कागज में लपेट कर सुरक्षित ट्रेप बॉक्स में रखवाई। परिवादी को आवश्यक हिदायत कर रूखसत किया। शेष ट्रेप पार्टी सदस्य रात्रि मुकीम साझा होटल व अन्य गोपनीय स्थान पर हुए.

दिनांक 30.11.2022 वक्त 09.50 एएम पर परिवादी श्री सोमराज होटल सांझा चुल्हा पर उपस्थित आया तथा बताया कि श्री बलवान सहारण परिवहन निरीक्षक ने मुझे प्रातः मेसेज किया कि मैं रावतसर जा रहा हूं आप वही आ जाओ। मुझे भी मेरी गाडी के चालान के संबंध में रावतसर में वकील मिलना है। जिस पर ट्रेप बॉक्स मे से सफेद कागज में लपेट कर रखवाई गई रिश्वती राशि नम्बरी नोट 90000 रू गवाह निर्मल स्वामी से निकलवाकर फर्द पेशकशी से पुन दोनो गवाहान से मिलान करवाकर श्री निर्मल स्वामी से परिवादी के पहनी हुई जिंस पेन्ट के पीछे की दाहिनी जेब में रखवाई गई। सफेद कागज को जिसमें रिश्वती राशि रखी गई थी को जलवा कर नष्ट किया गया। समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यो के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। तत्पश्चात परिवादी श्री सोमराज व श्री योगेन्द्र सिंह कानि को परिवादी की निजी कार से, मन् पुलिस निरीक्षक, दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री निर्मल स्वामी, श्री रामकुमार व्यास, श्री मंगतुराम हैड कानि, श्री राजेश कुमार हैड कानि, श्री जमील अहमद कानि, श्रीमती हजारा पठान म.का. मय ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप, प्रिन्टर आदि के जरिये प्राईवेट वाहनो से रावतसर की तरफ रवाना होकर रावतसर से कुछ पहले सडक के किनारे रूके तथा परिवादी को उनके वकील से मिलने हेतु परिवादी व श्री योगेन्द्र सिंह कानि को परिवादी के निजी वाहन से रवाना किया। शेष ट्रेप पार्टी सदस्य गोपनीय स्थान पर मुकीम हुवे।

वक्त 12.40 पी.एम पर परिवादी व श्री योगेन्द्र सिंह कानि उपस्थित आये। परिवादी ने बताया कि मै मेरे वकील से रावतसर कोर्ट में मिला। उसके मैने श्री बलवान परिवहन निरीक्षक के बारे में जानकारी की तो पता चला की श्री बलवान परिवहन निरीक्षक हनुमानगढ की तरफ चले गये। मैने गोपनीय रूप से पता किया तो श्री बलवान परिवहन निरीक्षक दोपहर बाद अपने निवासी स्थान हनुमानगढ पर मिलेगे। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक हमराहियान सहित हनुमानगढ-- रावतसर रोड पर मुकीम हुआ। वक्त 02.45 पी.एम पर पुलिस निरीक्षक हमराहियान सहित रावतसर रोड से रवाना होकर हनुमानगढ से संगरिया रोड पर पहुचे गोपनीय रूप से संगरिया रोड पर मुकीम हुए। वक्त :– 03.15 पीएम पर परिवादी श्री सोमराज, श्री राजेश कुमार मुख्य आरक्षक व श्री योगेन्द्र सिंह कानि को परिवादी की निजी कार से, मन् पुलिस निरीक्षक, दोनो स्वतन्त्र गवाहान व ब्यूरो स्टाफ मय ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप प्रिन्टर आदि के जरिये प्राईवेट वाहनो से आरोपी बलवान परिवहन निरीक्षक के मकान सिविल लाईन हनुमानगढ की तरफ रवाना होकर सिविल लाईन स्थित आरोपी बलवान के मकान के पास पहुचे। परिवादी को दिये गये डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालु कर देकर उसकी गाडी से आरोपी से सम्पर्क करने हेतु रवाना किया। शेष ट्रेप पार्टी के सदस्य आरोपी के मकान के आस पास खडे होकर परिवादी के रिश्वत लेन देन होने का पूर्व निर्धारित ईशारे के इन्तजार में मुकीम हुए।

वक्त 03:34 पी.एम पर परिवादी श्री सोमराज पुत्र श्री हेमराज बंसल जाति अग्रवाल निवासी वार्ड नम्बर 3 संगरिया जिला हनुमानगढ ने अपने मोबाईल नम्बर 9414380741 से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नम्बर 9414500599 पर कॉल कर पूर्व निर्धारित रिश्वत लेन देन का ईशारा किया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक दोनो गवाहान,ब्यूरो स्टाफ को साथ लेकर सिविल लाईन हनुमानगढ स्थित मकान नम्बर सी 236 के गेट पर पहुंचा तो गेट आधा खुला हुआ था तथा मकान के अन्दर सामने बरामदे में एक कुर्सी पर एक व्यक्ति बैठा है तथा उसके पास ही कुर्सी पर श्री सोमराज बैठा था। परिवादी श्री सोमराज से डिजिटल वाईस रिकार्ड लेकर बंद कर मन पुलिस निरीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी श्री सोमराज ने अपने पास कुर्सी पर बैठे व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यह श्री बलवान इन्सपेक्टर है तथा अभी इन्होने मेरी गाडीयों के चालान नही काटने के सम्बन्ध में बातचीत कर मेरी गाडी नम्बर आरजे 31 जीबी 3381 के चालान नम्बर अपने हाथ से कागज पर लिखकर आगे की मंथली बन्धी के मेरे से 90000/– रूपये रिश्वत के अपने हाथ मे लेकर पास में रखी प्लास्टिक की कुर्सी पर रख दिये तथा उस पर कागज रख दिये। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना व हमराहियान का परिचय उसको देकर आने का मकसद बताकर उसका नाम पता पुछा तो उसने अपना नाम श्री बलवानसिंह पुत्र श्री हरदेवाराम राहारण जाति जाट उम्र 35 साल निवासी गांव अरडकी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ हाल परिवहन उप निरीक्षक उडनदस्ता डीएफएस नम्बर 132 नोहर जिला हनुमानगढ होना तथा वर्तमान में मकान नम्बर सी–236 सिविल लाईन हनुमानगढ में किराये पर रहना बताया। श्री बलवानसिंह से परिवादी श्री सोमराज से रिश्वती राशि लेने बाबत पूछा तो बताया कि आज से दो तीन दिन पहले श्री सोमराज मेरे से जिला परिवहन कार्यालय नोहर में मिला था तथा अपनी गाडीयों के चालान के सम्बन्ध में बातचीत की थी। आज अभी यह मेरे पास आया तथा अपनी गाडी का चालान भरवाने के लिए मेरे को 2000 –2000 रूपये के नोटों की थेई दी थी जिसको मैंने अपने हाथ में लेकर पास में रखी प्लास्टिक की कुर्सी पर रख दिये थे, मैंने नोटों को गिना नहीं था, सोमराज ने मुझे बताया था कि 90000/– रूपये है। मैंने चालान भरने के पैसे लिए है, रिश्वत के पैसे नहीं लिये है। मौके पर उपस्थित परिवादी श्री सोमराज ने बताया कि बलवानसिंह परिवहन उप निरीक्षक ने मेरी फर्म अग्रवाल ट्रांसपोर्ट संगरिया में चलने वाली गाडीयों के पिछले दिनों नाजायज चालान काटे है। मैं दिनांक 28.11.2022 को जिला परिवहन कार्यालय नोहर में श्री बलवानसिंहजी से मिला तो इन्होने चालान नहीं काटने के बदले 90000/– रूपये मंथली के मांगे थे तथा अभी वहीं 90000/– रूपये रिश्वत के मंथली के रूप में लिए है। श्री बलवानसिंह परिवहन उप निरीक्षक से रिश्वत राशि लेने के सम्बन्ध में पुनः पूछा तो चुप रहा और कोई जबाब नहीं दिया। रिश्वती राशि के लेन देन की ताईद होने पर दो कांच के साफ गिलास में पानी भरवाकर उसमें सोडीयम कार्बोनेट डालकर घोल बनाया गया जो रंगहीन रहा। रंगहीन घोल के एक गिलास में श्री बलवानसिंह परिवहन उप निरीक्षक के दाहिने हाथ के अंगुठे व अंगुलियों को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग मटमैला हो गया। जिसे दो कांच की साफ की शिशियों में आधा आधा भरकर सीलचीट कर मार्क आर एच–1 व आर.एच–2 अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिये गये। दुसरे गिलास के रंगहीन घोल में श्री बलवानसिंह के बाये हाथ के अंगुठे व अंगुलियों को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग मटमैला हो गया जिसे दो कांच की साफ शिशियों में आधा आधा भरकर सीलचीट कर मार्क एल.एच–1 व एल.एच–2 अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिये गये। श्री बलवानसिंह के पास बांयी साईड में पडी प्लास्टिक की कुर्सी पर पडे कागज को गवाह श्री राम कुमार व्यास से उठवाये गये तो उक्त कागजों के नीचे 2000–2000 रूपये के नोटों की थेई दिखाई दी जिसे गवाह श्री राम कुमार व्यास से उठवाकर गिनवाये गये तो गवाह ने गिनकर 2000–2000 रूपये के 45 नोट कुल 90000/– रूपये होने बताये। बरामद नोटों के नम्बरों का मिलान दोनों गवाहान से पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी, सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टांत फिनोफ्थलीन पाउडर से करवाया गया तो नोटों के नम्बर हुबहु पाये गये। बरामद रिश्वती राशि के नोटों का विवरण फर्द में अंकित किये। उक्त सभी नोटों को एक सफेद कपडे के टुकडे की सहायता से सीलचीट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिये गये। एक नये कांच के साफ गिलास में साफ पानी भरवाकर उसमें सोडीयम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल बनाया गया जो रंगहीन रहा। रंगहीन घोल में एक कपडे की चिन्दी को डूबोकर भिगोकर कुर्सी के जिस स्थान पर रिश्वत राशि मिली उस स्थान व जिस कागज के नीचे रिश्वत राशि मिली कागज के उस

स्थान पर चिंदी को रंगड कर चिंदी को घोल में डूबोकर धोवन लिया गया तो घोल का रंग मटमैला हो गया जिसे दो कांच की शिशियों में आधा आधा भरकर सीलचीट कर मार्क सी-1 सी-2 अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। कपडे की चिन्दी जिसकी सहायता से धोवन लिया गया को एक सफेद कपडे की थैली मे डालकर सीलचीट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी ली गई। प्लास्टिक की कुर्सी पर जिन कागजो के नीचे रिश्वती राशि बरामद हुई उनका अवलोकन किया तो कुल तीन कागज है जिसमें उपर के कागज पर गाडी नम्बर आरजे 31 जीबी 3381 1030668 अंकित है। इस बाबत बलवानसिंह परिवहन उप निरीक्षक से पूछा तो बताया कि यह सोमराज की गाडी के नम्बर व काटे गये चालान के नम्बर है जो ऑन लाईन करते समय दो बार चालान कट गया है जिनको ठीक करने के लिए मैने यह मेरे हस्तलेख मे इस कागज में लिखा है। उक्त तीनों कागजों पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिये गये। श्री बलवानसिंह परिवहन उप निरीक्षक से परिवादी सोमराज की गाडी नम्बर आरजे 31 जीबी 3381 के चालान के बारे में पूछा तो बताया कि यह चालान मेरे द्वारा बनाया गया था जिसका कार्यालय में ऑनलाईन करते समय दो बार ऑन लाईन जनरेट हो गया। यह एक चालान डिलीट करने के लिए यह मेरे द्वारा इस कागज पर लिखा गया था। इस चालान की राशि सोमराज द्वारा पूर्व में भरवा दी है। चालान की राशि लेने की प्रक्रिया पूछी तो श्री बलवानसिंह ने बताया कि मोटर वाहनों के विरूद्ध किये गये चालान का जुर्माने की राशि जमा करने हेतु रसीद बुके परिवहन उप निरीक्षक/परिवहन निरीक्षक के नाम आवंटित होती है और इनके द्वारा भी चालान की राशि प्राप्त कर रसीद काटी जा सकती है या कार्यालय जिला परिवहन में भी चालान के जुर्माना की राशि जमा करवायी जा सकती है। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वती राशि तैयार कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल कागजात की गई। घटना स्थल का नियमानुसार फर्द नक्शा मौका व हालात मौका तैयार कर शामिल कागजात किया गया। कार्यवाही में मालवजह सबूत को शीलचिट करने में प्रयुक्त की गई पीतल की सील की फर्द नमूना सील नम्बर 26 तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। आरोपी श्री बलवान सिंह परिवहन उप निरीक्षक के किराये का मकान नम्बर सी-236 सिविल लाईन हनुमानगढ की खाना तलाशी ली जाकर विस्तृत फर्द खाना तलाशी तैयार शामिल पत्रावली की गई। आरोपी श्री बलवान सिंह परिवहन उप निरीक्षक को नियमानुसार जरिये फर्द गिरफ्तारी गिरफ्तार किया गया जिसकी विस्तृत फर्द गिरफ्तारी तैयार की जाकर शामिल पत्रावली की गई।तत्पश्चात परिवादी व आरोपी श्री बलवान सिह परिवहन निरीक्षक के मध्य रिश्वत राशि वक्त लेन देन हुई वार्ता की फर्द ट्रासंक्रिप्ट दोनो गवाहान व परिवादी के समक्ष तैयार की गई। उक्त फर्द श्री योगेन्द्र सिंह कानि से टाईप करवाई गई। डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड में दिनांक 30.11.2022 को रिकॉर्ड वार्ता की एक ऑडियो फाईल है, जिसके लेपटौप की सहायता से दो पेन ड्राईव श्री योगेन्द्रसिंह कानि से तैयार करवाये गये। एक पेन ड्राईव को उसके सेफ्टी कवर में डालकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर उक्त पेन ड्राईव को एक सफेद कपडे की थैली में डालकर सीलचीट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। दूसरे पेन ड्राईव को अन्वेषणार्थ खुला रखा जाकर उसके सेफ्टी कवर में डालकर एक सफेद कपडे की चिन्दी के साथ सीलचीट किया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड में दिनांक 28.11.2022 की दो ऑडियों फाईल व दिनांक 30.11.2022 की एक ऑडियो फाईल कुल 3 ऑडियो फाईल रिकॉर्ड है को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से बाहर निकालकर उसके सेफ्टी कवर में डालकर एक सफेद कपडे की थैली में डालकर सीलचीट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। कार्यवाही माल वजह सबूत को सील चिट् करने में प्रयुक्त की गई पीतल की सील नम्बर 26 को अनुपयोगी कर फर्द नष्टीकरण तैयार शामिल कागजात की गई। तत्पश्चात मन निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान, गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री बलवान सिह, प्रकरण में जब्त माल वजह सबुत सहित जरिये प्राईवेट वाहनो के पुलिस थाना हनुमानगढ जंक्शन के लिए रवाना हुआ। परिवादी को हिदायत मुनासिब कर फारिग किया। आरोपी श्री बलवान सिंह को पुलिस थाना की हवालात में सुरक्षित जमा करवाया गया। मन पुलिस निरीक्षक, श्री राजेश कुमार मुख्य आरक्षक, श्री मंगतुराम मुख्य आरक्षक, प्रकरण से संबंधित माल वजह सबूत व प्राईवेट स्विफ्ट डिजायर मय चालक मुकीम हुए। शेष ब्यूरो स्टाफ व गवाहान को प्राईवेट वाहन से बीकानेर के लिए रवाना किया गया। प्रकरण में आरोपी श्री बलवान सिह परिवहन उप निरीक्षक उपरोक्त

डीएफएस नम्बर 132 नोहर जिला हनुमानगढ को दिनांक 0112.2022 को माननीय न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण मामलात श्रीगंगानगर में पेश किया जायेगा।

अब तक की समस्त कार्यवाही, फर्द बरामदगी रिश्वती राशि, रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता, वक्त लेन देन वार्ता व पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी बलवानसिंह पुत्र श्री हरदेवाराम सहारण जाति जाट उम्र 35 साल निवासी गांव अरडकी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ हाल परिवहन उप निरीक्षक उडनदस्ता डीएफएस नम्बर 132 नोहर जिला हनुमानगढ के द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुए परिवादी श्री सोमराज की फर्म अग्रवाल ट्रांसपोर्ट संगरिया द्वारा संचालित वाहनों के चालान नहीं काटने की एवज में रिश्वत की मांग कर मंथली के रूपमें रिश्वत के 90000 रूपये प्राप्त कर जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का अपराध कारित किया है। अत श्री बलवानसिंह पुत्र श्री हरदेवाराम सहारण जाति जाट उम्र 35 साल निवासी गांव अरडकी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ हाल परिवहन उप निरीक्षक उडनदस्ता डीएफएस नम्बर 132 नोहर जिला हनुमानगढ के विरूद्ध बिना नम्बर प्रथम सूचना तैयार कर वास्ते पंजीयन एवं क्रमांकन श्रीमान् महानिदेषक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवामें प्रेषित है।

(गुरमेल सिंह)
पुलिस निरीक्षक
एसीबी (एसयू) बीकानेर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री गुरमेल सिंह, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. बीकानेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री बलवान सिंह पुत्र श्री हरदेवाराम सहारण, परिवहन उप निरीक्षक, उडनदस्ता, डीएफएस नम्बर 132, नोहर जिला हनुमानगढ के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 463/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

1.12.22
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक 3971-74 दिनांक 01.12.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, श्रीगंगानगर।
2. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. बीकानेर।

1.12.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।